



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032024-253336  
CG-DL-E-23032024-253336

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1472]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946

No. 1472]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

दिनांक: 22 मार्च, 2024

सं. 81/2023

विषय: प्याज की निर्यात नीति में संशोधन।

का. आ. 1541(अ).:— विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा आइटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 अध्याय 07 में प्याज की निर्यात नीति के संबंध में दिनांक 07.12.2023 की अधिसूचना सं. 49 में निम्नानुसार संशोधन करती है :

प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
0703 10 19	कि.ग्रा.	प्याज:	दिनांक 31.03.2024 तक निषिद्ध	अगले आदेशों तक निषिद्ध

2. दिनांक 07.12.2023 की अधिसूचना सं. 49 के पैरा-3 के तहत प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक वैध एचएस कोड 0703 10 19 के तहत प्याज के निर्यात पर निर्यात निषेध को अगले आदेशों तक बढ़ाया जाता है।

[फा.सं. 01/91/171/50/विधि/एम21/ई-26586]  
संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव,

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, 22nd March, 2024

**No. 81/2023**

**Subject:** - Amendment in export policy of Onions.

**S.O. 1541(E):** — S.O. (E): In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby amends Notification No. 49 dt. 07.12.2023 regarding Export Policy of Onions in Chapter 07 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:

Tariff item HS Code	Unit	Item description	Export Policy	Revised Export Policy
0703 10 19	KG	Onions:	Prohibited till 31.03.2024	Prohibited until further orders.

2. Provisions under Para-3 of Notification No. 49 dt. 07.12.2023 remains unchanged.

3. Effect of this Notification:

Export prohibition on export of onions under HS Code 0703 10 19 valid till 31<sup>st</sup> March, 2024 is extended until further orders.

[F. No. 01/91/171/50/Misc/AM21/e-26586]

Santosh Kumar Sarangi, Director General of Foreign Trade,  
& Ex-Officio Addl. Secy.